

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 43/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. .... (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 449(अ), दिनांक 29 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

2. यह अधिसूचना 11 सितम्बर, 2021 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/189/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)  
उप सचिव, भारत सरकार